

क्रमांक- 3323.269/12/15 / 3324
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल 40प्र0

भोपाल, दिनांक 29/12/16

// आदेश //

40प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/घार, दिनांक 24 जनवरी-2008 एषिपत्र क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/घार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को (प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान) में वेतन बैंड रु. 5200-20200+ग्रेड पे रु. 2800 के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है ---

संक्र	कर्मचारी का नाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति का दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्री अमृतलाल कोल सहायक मानचित्रकार	07.02.1994	01.04.2006
02	श्री आबीद हरीन सहायक मानचित्रकार	01.11.1994	01.04.2006

सामान्य शर्तें-

1. समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/घार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
2. समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों पर वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।


(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल दिनांक 29/12/2016


क्रमांक 3323.3269/12/15
प्रतिष्ठित-

3325

1. मुख्य अभियंता गंगा कच्छर जल संसाधन विभाग सीवा।
 2. अधीक्षण यंत्री,
 3. कार्यपालन यंत्री
 4. निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
 5. संबंधित श्री द्वारा स.क 01
- देव मनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट स.क 1.2.3 के लिये-

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जांच समुक्त संचालक कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।


अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता